त्रैमासिक रिपोर्ट

अप्रैल 2009 से जून 2009

उत्तर प्रदेश के चन्दौली जनपद जिसकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1,639,777 है। जिसमें शिक्षा का स्तर 63.09 प्रतिशत है। इस जनपद में 3 तहसील और 9 विकास खण्ड है। यह विकास खण्ड सरकार द्वारा घोसित नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जिसमें चकिया तहसील के 3 ब्लाक शहाबगंज, चकिया और नौगढ़ संवेदनशील ब्लाक माने जाते हैं। विशेषकर नौगढ़ अधिक संवेदनशील माना जाता है। सुविधाओं से वंचित, बिहार राज्य की सीमा से लगा हुआ जंगल क्षेत्र के मध्य में नौगढ़ विकास खण्ड है। नौगढ़ कैमूर पर्वत श्रृखलाओं के मध्य में बसा हुआ है। जंगल का क्षेत्र होने के कारण गाँव का क्षेत्र फैला हुआ है। नौगढ़ में 27 ग्राम पंचायतें है। इन 27 पंचायतों में 111 राजस्व गाँव है। कई पंचायत 5 किलोमीटर के घेरे से भी अधिक में हैं। नौगढ़ विकास खण्ड मुख्यालय से गाँव के लिए रास्ते या यातायात के लिए साधन नही ंके बराबर हैं। सरकारी सुविधाए नाम मात्र की है। सरकार का मापदण्ड है कि हर बच्चे के पहुँच तक स्कूल होगा लेकिन यहाँ यह सफेद हाथी बनकर रह गया है। नौगढ़ विकास खण्ड में कुल 83 प्राथमिक विद्यालय है। जो विद्यालय हैं वह भी सुचारु रुप से नहीं चलते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में नौगढ़ मुख्यालय पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना है लेकिन वहाँ से कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है इस भवन को बने हुए लगभग डेढ़ साल हो गया हैं। पूरे विकास खण्ड में 14 ए0एन0एम0 सेन्टर हैं लेकिन सभी ए0एन0एम0 सेन्टर के पास भवन नहीं है। नौगढ़ सरकारी अस्पताल वर्तमान समय में कुल 14 ए0एन0एम0 तथा 2 एच0बी0 है। 3 चिकित्साधिकारी की पोस्ट है लेकिन मात्र दो चिकित्साधिकारी आते है। सरकारी विभाग में अधिकांश जगह खाली होने की वजह से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

ग्राम्या संस्थान विगत 11 वर्षो से नौगढ़ में शिक्षा केन्द्र चला रही है जिसमें से नौगढ़ विकास खण्ड के 4 गाँव में प्राथमिक शिक्षा जिसमें से 2 गाँव में जूनियर स्तर तथा चकिया के 4 गाँवों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आशा एवं गाँव के सहयोग से संचालित कर रही है। इस तीन महिनों में बच्चों की उपस्थिति निम्न रही है–

गाँव का नाम	बालक	बलिका	योग
लालतापुर			
▪ जुनियर	22	28	50
▪ प्राइमरी	100	77	177
झुमरियां	48	59	107
अमदहा	35	17	52
बसौली	16	15	31
अल्लीपुर	14	18	32
सीताताली	16	12	28
गढवा	8	14	22
उसरा	17	7	24
योग	**276**	**247**	**523**

अभिभावक के साथ बैठक–

सेन्टर के संचालन में मदद मिले इसके लिए सभी सेन्टरों के कमेटियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में अभिभावकों के सामने पूरे परीक्षा परिणाम को रखा गया। बैठक में बच्चों के फेल होने की बात को रखा गया। इसपर कुछ अभिभावक सवाल खड़ा किए कि हमारा बच्चा रोज पढ़ने आता है लेकिन वह कैसे फेल हो जाता है। जिसपर अनुदेशकों ने बताया कि जो बच्चा रोज पढ़ने आता है वह पढ़ने में ठीक है तथा वह पास भी हुआ है अभिभावक भी बच्चों के पढ़ाई पर घ्यान नहीं देते है उनके घर के पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते है जिसके वजह से बच्चे पढ़ने में कमजोर है।
कमजोर बच्चों के लिए मिटिंग में तय किया गया कि विद्यालय जून माह में भी 7.00 बजे से 9.00 बजे तक चलेगा जिसमें कमजोर बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जून माह में कमजोर बच्चों को चिन्हित करके 2 घंटा तक स्कूल चलाया गया।

अभिभावक संपर्क–

बच्चों के विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति, उनके घर की पढ़ाई, साफ–सफाई तथा बच्चों के गतिविधियों को लेकर अभिभावकों से सम्पर्क किया गया और अभिभावको को उचित सुझाव भी दिया गया जिससे बच्चों में काफी सुधार हुआ है।

शिक्षा कोर टीम–

इस त्रैमास में परीक्षा सही ढंग से कराने व परीक्षा परिणाम बनवाने हेतु शिक्षा कोर टीम के साथ ग्राम्या संस्थान के नौगढ़ कार्यालय पर बैठक किया गया। जिसमें जिसमें परीक्षा का समय, समय सारिणी, पेपर बनाने के काम के साथ ही शिक्षको के स्थानान्तरण पर चर्चा किया गया। बैठक में तय किया गया कि परीक्षा हेतु पेपर स्वयं ग्रुप के आधार पर पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर बनाया जाएगा। परीक्षा बाद सभी शिक्षकों को लेकर परीक्षा परिणाम बनाया गया।

वार्षिक परीक्षा–

नौगढ़ में बच्चों का वार्षिक परीक्षा 8 से 17 मई तक किया गया।परीक्षा शुरु होने से पहले सभी शिक्षकों के साथ बैठक किया गया जिसमें जिसमें परीक्षा में बच्चों का सही ढंग से मूल्यांकन हो इसके लिए सभी टीचरों का स्थानान्तरण किया गया।
बैठक में उपरोक्त जिम्मेदारी के अनुसार बच्चों के संख्या के आधार पर कापी, पेपर दिया गया। सभी सेन्टरों पर एक–एक_टीचर को पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। परीक्षा बाद सभी टीचरों के साथ बैठक किया गया । बैठक में बच्चों के परीक्षा परिणाम सन्तोषजनक नहीं होनं पर चर्चा किया गया जिसपर शिक्षको ने बताया कि कुछ बच्चे छात्रब्त्ति के चक्कर में पड़कर रोज स्कूल नहीं आते है।, अभिभावक भी सक्रिय नहीं है दोनों जगहो पर पढ़ने के कारण कुछ बच्चे कमजोर है।
_जुनियर में कक्षा 6 में प्राइमरी पास बच्चों का नामांकन किया गया उस समय कुछ बच्चे बहुत कमजोर थे जैसे– लिख नहीं पाते थे, किताब नहीं पढ़ पाते थे। वही कुछ बच्चे कुछ ठीक थे कमजोर बच्चों को ठीक बच्चों के साथ लाने के लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया उससे बच्चों में काफी सुधार आया। 25 मई को बच्चों के परीक्षा परिणाम को अभिभावको के सामने घोषित किया गया।

कार्य क्षेत्र के गाँवों का सर्वे–

25–30 मई तक कार्य क्षेत्र गाँवों का सर्वे किया गया जिसके अन्तर्गत लोगो की स्थिति, शिक्षा, आय के साधन, मात्त्व लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, बृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि को निकाला गया।

स्वास्थ्य–

प्रतिमाह होने वाली बैठकों में निम्न बातों पर चर्चा किया गया–

- जननी सुरक्षा योजना।
- मातृत्व लाभ योजना।
- महिला लीडरों के साथ बैठक।
- महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच को मजबूत करने हेतु सदस्यों को बढ़ाना पर बल।
- नरेगा के तहत लिखित आवेदन हेतु जानकारी देना।
- वनाधिकार समितियों के गठन पर चर्चा।
- मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर जिला संवाद।
- समूह गठन पर चर्चा।

संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता के अन्तर्गत सेन्टरों में बच्चों के साफ–सफाई तथा होने वाली मौसमी वीमारियों से बचाव के साथ ही साथ अधिकार के बारे मे बताया गया कि सरकार के तरफ से जननी सुरक्षा योजना तथा मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है। संस्थागत प्रसव करवाने पर 1400 रु0 के साथ ही साथ घर पर हुए प्रसव के अन्तर्गत 500 रु0 मिलने का प्रावधान है यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 19 साल से उपर, एक बच्चा के बाद दूसरा गर्भ में हो यानी दो बच्चों वाली महिला, गरीबी रेखा के निचे वाला लाल कार्ड हो। आप सभी के प्रयास का फल है कि वर्तमान समय में नौगढ़ में जननी सुरक्षा योजना का पैसा प्रसव के तुरन्त बाद या एक सप्ताह के अन्दर मिलने लगा है लेकिन घर पर हुए प्रसव का पैसा अभी तक किसी को नहीं मिला है जिसके लिए आप लोगो को आगे आना होगा इसके लिए भी आप लोगों को लड़ना होगा तभी घर पर हुए प्रसव का पैसा मिलेगा। मातृत्व लाभ के लिए चन्दौली सी0एम0ओ0 से पूछा गया तो उन्होने कहा कि इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे यहा नहीं आई है वही दूसरे जिलों में देखा जाय तो मात्त्व लाभ का पैसा दिया जाय । नौगढ़ में भी लोगों को इसका लाभ मिले इसके लिए महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाए प्रयासरत है।

नौगढ़ में पिछले 3 साल से महिलाओं का संगठन **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** का गठन हुआ है गठन होने के बाद महिलाएं, ए0एन0एम0, मीड डे मिल, कोटेदार पर नजर, ओगनबाड़ी पर नजर, आशा के कार्य पर नजर रखती है।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच को और मजबूत करने के लिए संख्या बढ़ाने पर बात किया गया इस समय इस संगठन में कुल 725 महिलाएं सदस्य है जो अपने हक व अधिकार के लिए समय–समय पर आवाज उठाती है।

नौगढ़ के 27 पंचायतों में से 8 पंचायत में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाए है। वनाधिकार समिति में चयन के दौरान इन 8 पंचायतों की महिलाओं का चयन सदस्य के रुप में किया गया है। नौगढ़ पी0एच0सी0 पर दो घटनाए हुई–

- एक महिला का प्रसव के दौरान पी0एच0सी0 पर मौत
- नसबन्दी के 6 माह बाद महिला की मौत

रम्भा जिनकी मौत प्रसव के दौरान पी0एच0सी0 पर हो गई थी महिलाओं ने अपने बैठकों में सुझाव के तौर पर बताया कि इस केस को भी एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग भेजा जाय वहा से कुछ हो सकता है इस परिवार का भला हो जाएगा। महिलाओं द्वारा दिए गए सुझाव को मानकर इस केस को एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग भेजने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला संवाद–

19 मई 2009 को वि0ख0 नौगढ़ के सामुदायिक हाल में जिला स्तरीय संवाद का आयोजन महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच व ग्राम्या के संयुक्त तत्वाधान में किया गया जिसमें लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं व ग्राम्या संस्थान द्वारा परिवार द्वारा मातृत्व स्वास्थ्य पर किए गए खर्च की जानकारी हेतु 1 अप्रैल 2008 से 30 सितम्बर 2008 तक का सर्वे किया गया था सर्वे से जो तथ्य निकलकर आया उसकी रिपोर्ट महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं व ग्राम्या संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया गया। संवाद का क्या उद्देश्य था इसके बारे में ग्राम्या संस्थान की सचिव बिन्दु जी ने विस्तार से सबको बताई। इस संवाद में ब्लाक प्रमुख, बी0डी0ओ0 मीडिया तथा प्रधान को बुलाया गया था। संवाद से निकले तथ्यों को बताने से पहले महिलाओं ने महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच क्यों बना, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच ने अब तक क्या किया है उसके बारे में विस्तार से प्यारी देवी ने बताया कि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली, लखनउ बहुत जगह गई कुछ न कुछ सफलता भी मिली आज हम गरीबों का पैसा अगर सबसे ज्यादा खर्च होता है तो दवाओं पर इस लिए आज मै अपने संगठन की महिलाओं से अपील करती हॅ कि ये महिलाए आगे आए और पंचायत से लेकर

पी0एच0सी0 तक अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगे और उसे ले तभी मिलेगा अन्यथा मिलने वाला नहीं है।

इसके बाद डंगरी देवी ने अपने भाषण में कहा कि पहले नौगढ़ में लोगों को जननी सुरक्षा योजना का पैसा नहीं मिलता था लेकिन आज वर्तमान समय में तुरन्त या एक सप्ताह के अन्दर मिलने लगा है। यह पैसा कैसे मिलने लगा है क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं में से तीन महिलाएं लखनउ जाकर स्वास्थ्य मंत्री से मिली थी उनके सामने नौगढ़ की स्थिति को रखी हम महिलाओं की बातों को सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री चन्दौली के सी0एम0ओ0 को फोन किए इसकू बाद से जननी सुरक्षा योजना का पैसा मिलने लगा लेकिन घर पर हुए प्रसव का पैसा आज भी नहीं मिल रहा है जिसके लिए लड़ने की जरुरत है इस लिए हम महिलाओं को आगे आने की जरुरत है तभी हक और अधिकार मिलेगा। रामरती तथा तेतरा बानों ने रपट से निकले तथ्यों को सबके सामने रखी। महिलाओं की बातों को सुनने के बाद मंगरही के प्रधान छोटेलाल जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में है और संगठित होकर किसी भी लड़ाई को लड़ रही है और कही न कही आपको सफलता मिल रही है।

<u>बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संधर्ष करो</u>। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए संगठित होना बहुत जरुरी है।

आगे प्रधान जी ने बताया कि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समीति बनी है जिसमें प्रधान, ए0एन0एम0 व आशा सदस्य के रुप में है। सभी प्रधान व ए0एन0एम0 के खाते में अनटाइड फन्ड का पैसा आया है आप लोग अपने प्रधान से पूछिए किवह पैसा कहा गया अगर कोई प्रधान यह कहे कि पैसा नहीं आया है या वापस

चला गया है तो समझिए कि वह झूठ बोल रहा है| आप उस समय मुझे बुलाउए मै उनके सामने कहूगा कि ब्लाक से सभी प्रधान को आदेश मिला है किवह अपने अनटाइड फन्ड के पैसों को खर्च करे। गाँव में किसी को संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए इसके लिए दवाओं का छिड़काव कराना है आदि।

आगे प्रधान जी ने कहा कि इन पैसों के बारे में जानकारी रखना आप लोगों का अधिकार है अगर आप लोगों का यह संगठन सक्रिय रुप से काम करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप लोग अपने किसी भी कार्यक्रम में मुझे बुलाएगी मै जरुर आउगा और मेरी तरफ से जो हो सकेगा मै इस संगठन का सहयोग करुगा।

महिलाओ द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को सुनने के बाद दैनिक जागरण, अमर उजाला व हिन्दुस्तान के पत्रकारों ने कहा कि आप लोग आगे आइए हम मीडिया के लोग आप लोगों के साथ है आप लोगों की जो भी सम्स्या है आप लोग हम पत्रकारों को बताइए हमारे पास एक ताकत है लिखने की ताकत उससे हम लोग आप लोगों की मदद करेगें। आप लोगों के हर लड़ाई में मीडिया के लोग आप लोगों के साथ है।

युवाओं के साथ बैठक–

ग्राम्या संस्थान पिछले दो साल से नौगढ़ में (**परिवर्तन में युवाओं**) युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को लेकर बैठक करती है जिसके अर्न्तगत निम्न बातों पर चर्चा किया गया है–

- युवाओं के यौन प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार।
- पंचायत स्तर पर बनी समिति के बारे में चर्चा।
- सूचना के अधिकार के तहत डाले गए आवेदन पर चर्चा।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 पर चर्चा।
- लखनऊ में हुए राज्य स्तरीय संवाद पर चर्चा।
- लखनऊ में हुए 5 दिवसीय कार्यक्रम पर चर्चा।
- रचनात्मक द्वामता विकास कार्यशाला पर चर्चा।

प्रतिमाह होने वाली बैठकों में युवाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। 7 अप्रैल 2009 को लखनऊ में एक संवाद का आयोजन किया गया था जिसमें ग्राम्या संस्थान से **परिवर्तन में युवा** के साथी उमेश कुमार ने भाग लिया और उन्होने सरकार के लोगो के सामने सवाल रखा कि आज वर्तमान समय में प्रत्येक युवा को स्वास्थ्य व अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए अगर हम युवा अपने पी0एच0सी0 नौगढ़ पर जाकर डाक्टर से एच0आई0वी0 एड्स के बारे में जानकारी मांगने लगे तो वह जानकारी देने के बजाय भगा देगें ऐसे में हम युवा जानना चाहते है कि हम अपनी समस्या किसके पास रखे, कौन हम युवाओं की बात को सुनेगा।

युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार पर जानकारी हेतु लखनऊ में 5 दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन सहयोग संस्था द्वारा किया गया जिसमें ग्राम्या से 10 युवाओं ने भाग लिया।

युवाओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत सस्ते गल्ले के दुकानों में हो रहे घोटालों को देखते हुए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाले है। युवाओं को भी ऐसा महसूस होने लगा कि अगर सरकार गरीबो के लिए यह योजना चलाई है जो सबको मिलना चाहिए। कोटेदार लोग कभी राशन देते है तो कभी नही देते है उनकी मनमानी को रोकने के लिए हम लोगों को सूचना के अधिकार का प्रयाग करना चाहिए। दन्ही सब कारणों को देखते हुए युवाओं नू सूचना के अधिकार का प्रयाग किया है।

रचनात्मक क्षमता विकाश दो दिवसीय कार्यशाला–

रचनात्मक क्षमता विकास दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बसौली प्राइमरी स्कूल पर किया गया जिसमें 77 युवाओं ने भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में नाटक व पेटिंग सीखाई गई।

नाटक–

- बाल विवाह
- शिक्षा
- दहेज

पेटिंग–

- नरेगा
- बाल विवाह

शैक्षिक भ्रमण–

21 जून से 26 जून तक नैनिताल जिले में युवाओं का शैक्षिक भ्रमण सहयोग संस्था द्वारा कराया गया जिसमें ग्राम्या संस्थान से 2 लड़का उमेश व शिवानन्द, दो लड़की मीरा व साबिया गई थी। वहा पर युवाओं ने देखा कि समतल मैदान और पहाड़ी भाग में काम करना कितना मुश्किल है।

संगठन–

गाँव में बैठक–

संस्था के द्वारा चिन्हीत कार्यक्षेत्रों में बैठके की गई जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा किया गया–

- रोजगार गारन्टी योजना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006।
- पट्टा है कब्जा नहीं कब्जा है पट्टा नहीं।
- विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन।
- पंचायती राज विधेयक एक्ट पर चर्चा।
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा।

उपरोक्त सभी विषयों पर लोगों को नीतिगत जानकारी दी गई तथा जिन को इल योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनसे कहा गया कि वह अपने हक व अधिकार की प्रशासन से मांग करें जैसे– नरेगा में जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो लोग प्रधान से या बी0डी0ओ0 से लिखित काम की मांग करे अगर वह लोग काम नहीं देते है तो आप अपने आवकदन की कापी को दिखाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकते है इस लिए जब भी काम मांगे लिखित मौखिक काम कोई ना करे अगर कोई काम करता है तो नुकसान भी उसी का होगा।

मजदूर किसान मोर्चा बैठक–

ग्राम्या संस्थान के नौगढ़ कार्यालय पर मजदूर किसान मोर्चा के साथ बैठक किया गया जिसमें 20 लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में समस्त योजनाओं पर चर्चा किया गया लेकिन वनाधिकार अधिनियम 2006 पर विस्तृत चर्चा किया गया। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व जमीन पर काबिज हो तथा उसका जीवन वनों एवं वनभूमि पर निर्भर हो। आगे लोगों को बताया गया कि एक व्यक्ति 4 हेक्टेयर जमीन पर दावा कर सकता है भले ही वह जमीन बिखरा हो। यदि 13 दिसम्बर 2005 के पहले जमीन पर काबिज कोई व्यक्ति था उसे वनविभाग जबरन जमीप से बेदखल कर दिया हो तो वह व्यक्ति भी हकदार होगा।
ग्राम वनाधिकार समिति में कम से कम 10 अधिक से अधिक 15 लोग सदस्य हो सकते हैं जिसमें एक तिहाई महिला महिला तथा अनुसुचित जन जाति न होने पर अनुसुचित जाति सदस्य होगें। 15 सदस्यों में से 7 सदस्य महिला तथा 8 पुरुष होगे जब 15 सदस्य नामित हो जाएगें तो वही 15 सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष व सचिव का चयन करेगें।

महिला लीडरों के साथ बैठक–

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं के साथ क्षेत्रिय समस्याओं को लेकर प्रतिमाह ग्राम्या संस्थान के नौगढ़ कार्यालय पर बैठक किया जाता है। बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा किया जाता है–

- जननी सुरक्षा योजना।
- मातृत्व लाभ योजना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा)।
- वनाधिकार अधिनियम 2006।
- सूचना का अधिकार।
- मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर जिला स्तरीय संवाद पर चर्चा।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच में अब तक कुल 15 गाँव से 725 महिला सदस्य है जिसमें से 32 महिला लीडर की भूमिका में है जिनके साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जाता है चर्चा से जो निकलकर आता है उस पर गहन विचार करके कदम उठाने का निर्णय महिलाओं द्वारा लिया जाता है जैसे– बैठक में महिलाओं द्वारा तय किया गया कि वह भी वनाधिकार समिति की सदस्य बनेगी और उस पर निगरानी रखने का काम करेंगी। वर्तमान समय में नौगढ़ के 27 पंचायतो में जो समिति बन रही है उसमें जिन गाँवों में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिला है उनका चयन सदस्य के रुप में हुआ है।
मातृत्व स्वास्थ्य पर हो रहे खर्चे को लेकर मलिा स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाए ग्राम्या संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्वे की सर्वे से जो निकलकर आया उसे लेकर सरकार के साथ 19 मई को संवाद किया गया। संवाद की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न हैं।

पंचायत सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण–

ग्राम्या संस्थान के तत्वाधान में प्राथमिक विद्याालय मझगाई में पंचायत सदस्यों के साथ दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कुल 30 प्रतिभागीयों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि पंचायत सदस्य को मजबूत बनाना और सशक्त करना। प्रशिक्षण का प्रभाव यह रहा कि सदस्य अपने अधिकार को जाने और सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर प्रधान संघ बन सकता है तो सदस्यों का संघ क्यों नहीं बन सकता। प्रशिक्षण के दूसरे दिन पंचायत सदस्यों द्वारा महासंघ बनाने का निणय लिया गया और बना भी।

पंचायत सदस्य महासंघ बैठक–

10 मई 2009 को पंचायत सदस्यों के साथ चन्द्रकान्ता कोठी पर बैठक किया गया जिसमें लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में शामिल लोगों को बताया गया कि समिति का जैसा नाम है वैसा ही काम भी जब तक आप लोग आगे नहीं आएगे तब तक गाँव का विकास होना मुश्किल है। पंचायत सदस्या के कार्य को लेकर काफी चर्चा कि गई चर्चा के बाद सदस्यों द्वारा कोर टीम का गठन किया गया जिसमें कुल 13 सदस्यों का सर्व सम्मति से नाम की घोषण की गई।
सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 तारीख को पंचायत महासंघ समिति के साथ बैठक किया जाएगा किसी विशेष परिस्थिति के आने पर ही इस तारीख को बदला जाएगा अन्यथा 10 को ही बैठक होगी। संघ द्वारा लिए गए निर्णय को सभी लोगों ने सर्व सम्मति से सहमति दी।

रोजगार गारन्टी योजना–

27 जून 2009 को नरेगा सचिव विक्रम व जितेन्द्र द्वारा मरवटिया पंचायत व बसौली पंचायत में जयमोहनी रेंज द्वारा नरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे मजदूरों के खाते में काम से ज्यादा पैसा भेजना व वन कर्मी द्वारा जबरन वसूलना, बैक मैनेजर द्वारा वन कर्मीयों के हाथों में पैसा देना, जाबकार्ड पर काम से ज्यादा दिन की हाजिरी बनाना आदि के बारे में जानकारी लिए। ग्राम्या संस्थान के कार्यकर्ताओ द्वारा ग्राम बसौली से 7 मजदूरों का तथा मरवटिया से 17 मजदूरों की सूची नरेगा प्रदेश सचिवालय भेजा गया था जिसको मौके पर सही पाया गया और पूरी अनियमितता से भरा पड़ा था। नरेगा सचिव विक्रम व जितेन्द काम को देखने के लिए साइड पर गए और मजदूरों से बात किए, काशी ग्रामीण बैंक मझगाई जाकर बैंक मैनेजर से मिले तथा जय मोहनी के रेंजर से भी मिले और वहा पर मस्टरोल देखे। 2006 से अब तक पूरा मस्टरोल खाली था उसपर किसी भी मजदूर का कोई हस्ताक्षर नहीं था। नरेगा सचिव विक्रम व जितेन्द के जाने के बाद 30 जुन को

रेंजर को सस्पेन्ड कर दिया गया तथा वाचरों को कार्यमुक्त कर दिया गया। ग्राम्या के साथ मिलकर किए गए इस कार्य का पूरे क्षेत्र में चर्चा हैं तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का हौसला बढ़ा है। नरेगा सचिव विक्रम व जितेन्द के इस कार्य से वन विभाग, बैंक कर्मी हरकत में आए साथ ही प्रधान भी डर गए हैं। भविष्य में नरेगा को लेकर क्या होता है अभी देखना बाकी है।
वर्तमान समय में मजदूर अपने हक व अधिकार को जानने लगे हैं तथा एसे लेना भी सीख रहे है। आज कुछ मजदूर काम की मांग जब करते है वह लिखित मांगने का प्रयास कर रहें हैं ताकि काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता ले सके।

वनाधिकार अधिनियम 2006–

वनाधिकार अधिनियम 2006 को लेकर बैठक किया गया । बैठक में लोगो को बताया गया कि किसको जमीन का हक मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कौन पात्र व्यक्ति होगा और कौन अपात्र तथा समिति में कौन–कौन लोग रहेंगे। नौगढ़ ब्लाक के मगरहीं पंचायत, सेमर साधोपुर तथा धनकुआरी कला में बैठक करके लोगों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के कानून के बारे में बताने का कार्य किया गया तथा मरवटिया, जैयमोहनी, गोलाबाद, रीठिया, बसौली, देउरा, मझगाई, मझगावाँ, विशेषरपुर, गढ़वा आदि पंचायतों में जाकर बैठकों के माध्यम से जानकारी दी गई साथ ही सोनभद्र के वकील रविशंकर भूरे जी तथा समाजसेविका मधु जी, के द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत वन भूमि दावा फार्म, सामुदाईक अधिकार दावा फार्म भरने, साक्ष्य में कौन–कौन से कागज लगेगें, किसको जमीन मिलेगी और कैसे मिलेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अन्य गाँवों में बैठकों की तारीख जुलाई माह में तय की गई।

बी0पी0एल0 सर्वे–

ग्राम्या संस्थान के तत्वाधान में नौगढ़ ब्लाक के 27 पंचायतों में 8 पंचायतों के 35 गाँवों का सर्वे किया गया। सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। कोर्ट के आदेशानुसार कि बी0पी0एल0 परिवार के प्रत्येक वृद्धा, विधवा, विकलांग को पेंशन दिया जा सके।

0000000